संख्या- 1128 /नौ-4-21-20लेखा/2019

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः नगर निगमों में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के सृजित 06 पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन हेतु नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-552 के अंतर्गत प्रदेश के 06 नगर निगमों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा एवं मेरठ में वित्त लेखा सेवा के मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, वेतनमान रू0 12000-16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड रू0 15600-39100 (ग्रेड पे रू0 7600) में 01-01 पदों का सृजन अस्थायी रूप से शासनादेश संख्या-101/नौ-4-10-20लेखा/2009, दिनांक 16.02.2010 द्वारा किया गया। उक्त पदों की निरन्तरता समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। शासनादेश संख्या-609/नौ-4-20-20लेखा/2019, दिनांक 04.03.2020 द्वारा दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक निरन्तरता बढ़ायी गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नगर निगमों में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के सृजित 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता अवधि दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-1128 (1)/नौ-4-21-20लेखा/2019 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9
3. वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

Ajit GO-2021-54